प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

!! दुष्कर्म के अभियोग में 01 अभियुक्त को हुई तिहरे आजीवन कारावास की सजा !!

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 03.04.2021 दुष्कर्म से सम्बन्धित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 168/2011 धारा 376/504/506/452 भादवि एवं 3(1)(12) व 3(2)(5) SC/ST Act बनाम अशोक यादव पुत्र माखन लाल यादव निवासी ग्राम नेरपुर थाना खैराबाद सीतापुर में खैराबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 03.04.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त अशोक उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास व 10,000 हजार रूपये अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 3(2)(5) SC/ST Act में आजीवन कारावास व 10,000 हजार रूपये अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 5 SC/ST Act में आजीवन कारावास व 10,000 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अन्तर्गत धारा 3(1)(12) SC/ST Act में 05 वर्ष कारावास व 5,000 हजार रूपये अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 452 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 3,000 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अन्तर्गत धारा 504/506 भादवि में 02-02 कारावास व 01-01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।